उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-16+21/2020-21

ज्योतिष यादव बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य

गणेश यादव एवं अन्य बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 09/09/22

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता ज्योतिष यादव, पे0-राम प्रसाद यादव, सा0-डुमरी टोला विशाहा, अंचल-पथरगामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर आर0एम0ए0 नं0-16/20-21 एवं अपीलकर्त्ता गणेश यादव वो राम यादव वो कैलू यादव वो बंगाली यादव, पे0-स्व0 जीतन गोप वो सागर यादव वो सुजाधर यादव वो रंबीर यादव वो शालीग्राम यादव, पे0-स्व0 रामेश्वर यादव, सभी साकिनान-विशाहा, अंचल-पथरगामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर आर0एम0ए0 नं0-21/20-21 प्रारम्भ किया गया है। दोनों अपील वाद के अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के एक ही बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0-03/2017-18 के आदेश दिनांक-25.10.2019 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। इसलिए दोनों अपील वाद को एक साथ सम्बद्ध कर सुनवाई की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0-03/17-18 आदेश दिनांक-25.10.2019 के द्वारा बंदोवस्ती वाद सं0-134/1962-63, बंदोवस्ती वाद सं0-219/70-71 एवं बंदोवस्ती वाद सं0-271/1971-72 तथा गृहस्थल वाद सं0- 04/83-84 के द्वारा मौजा-विशाहा थाना नं0-255 खाता नं0-133 दाग नं0-856 में किये गये बंदोवस्ती को रद्द किया है तथा अंचल अधिकारी, पथरगामा को सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों के साथ बंदोवस्ती के लिए प्रस्ताव देने के लिए आदेश दिया है।

अपीलकर्त्ता ज्योतिष यादव के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-विशाहा नं0-255 गैरमजरूआ खाता नं0-133 दाग नं0-856 कुल रकवा 03-15-10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती कदीम कहकर दर्ज है। यह जमीन विशाहा पहाड़ के पास अवस्थित होने के कारण उक्त भूमि न तो कृषि योग्य है और न ही उक्त जमीन का कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 1962 ई0 में अकलू गोप ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, पथरगामा के समक्ष उक्त जमीन की बंदोवस्ती के लिए यह

उल्लेख करते हुए आवेदन दिया कि वह पूरी तरह भूमिहीन है और उनके घर में 18 व्यक्ति है, लेकिन कोई जमीन नहीं है। जमीन वंदोवस्ती प्राप्त होने पर उक्त जमीन पर वह मकान बना सके। प्रखंड विकास पदाधिकारी, पथरगामा के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। राजस्व कर्मचारी ने स्थल जाँचकर प्रतिवेदन दिया कि अकलू गोप के पास मात्र रकवा 01–10–00 धुर जमीन है, जो कृषि योग्य नहीं है। उनके पास मकान बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। राजस्व कर्मचारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश दिया गया। किसी भी रैयतों ने अकलू गोप के वंदोवस्ती के विरूद्ध आपत्ति आवेदन नहीं दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने वंदोवस्ती केश नं0–134/62–63 में दिनांक–15.04.1963 को आदेश पारित किया, जो इस प्रकार है :–"प्रस्तावित वंदोवस्ती के लिए मौजा के सौलह आना रैयतों को नोटिश दिया गया। उनके द्वारा अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के अनुशंसा दिनांक–29.01.1963 के आधार पर मौजा–विशाहा दाग नं0–351 एवं दाग नं0–856 रकवा क्रमशः 00–10–00 धुर एवं 00–12–02 धुर कुल रकवा 01–02–02 धुर जमीन का वंदोवस्ती प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा निदेशित किया जाता है कि अंचल अधिकारी, पथरगामा को सूचित करें।" उनका आगे कथन है कि अकलू गोप के साथ उक्त जमीन की वंदोवस्ती 55 वर्ष पूर्व की गयी थी। अपीलकर्त्ता उसी वंदोवस्ती के आधार पर उसी समय से उक्त जमीन पर वास्तविक रूप से दखलकार है तथा बिना रूकावट का सरकार को लगान का भुगतान करते आ रहे हैं। अपीलकर्त्ता गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति है। किसी तरह उक्त पथरीली जमीन पर खेती करके जीवन यापन करते है तथा उस जमीन पर माल मवेशी भी बाँधते हैं। वर्तमान तसदीक सर्वे में भी अकलू गोप का नाम दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में कोई नियम नहीं है कि बहुत वर्ष पूर्व एक योग्य व्यक्ति के साथ की गयी वंदोवस्ती को रद्द किया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत आदेश पारित किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश निरस्त करने योग्य है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता गणेश यादव एवं अन्य के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, पथरगामा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने वंदोवस्ती केश नं0–134/1962–63, वंदोवस्ती केश नं0–219/70–71, वंदोवस्ती केश नं0–271/1971–72 एवं गृहस्थल वंदोवस्ती केश नं0–4/83–84 को रद्द करने के लिए वंदोवस्ती केन्सीलेशन

केश नं0–3/2017–18 प्रारम्भ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के नोटिश पर अपीलकर्त्तागण न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण–पृच्छा दाखिल किया है। कारण–पृच्छा में अपीलकर्त्तागण ने उल्लेख किया कि मौजा –बिशाहा नं0–255 के गैरमजरूआ खाता नं0–133 के दाग नं0–856 रकवा 03–15–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट के पूर्व से अपीलकर्त्तागण के पूर्वज बनवारी गोप के दखल कब्जा में था। इसलिए पर्चा के दखल कॉलम में वनवारी गोप, पे0–जुमन गोप का नाम दर्ज है। वनवारी गोप अपने जीवन काल तक उक्त जमीन पर दखलकार रहे। वनवारी गोप की मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र जीतन गोप एवं रामेश्वर गोप संयुक्त रूप से उक्त जमीन पर दखलकार रहे तथा दोनों की मृत्यु के बाद उनके पुत्र उक्त जमीन पर संयुक्त रूप से दखलकार हैं। लेकिन उक्त जमीन का लगान धार्य नहीं रहने के कारण जीतन गोप एवं रामेश्वर गोप, पे0–बनवारी गोप के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में लगान धार्य करने के लिए आवेदन दिया, जिसके आधार पर रा0वि0 वाद सं0–271/71–72 प्रारम्भ किया गया एवं जीतन गोप एवं रामेश्वर गोप के नाम से लगान धार्य किया गया। इससे स्पष्ट है कि बनवारी गोप वर्ष 1934 के पूर्व से उक्त जमीन पर दखलकार थे। लेकिन बंदोवस्ती नहीं होने के कारण बंदोवस्ती केश नं0–165/70–71 के द्वारा जीतन गोप एवं रामेश्वर गोप के नाम से उक्त जमीन की बंदोवस्ती की गयी है तथा लगान भी रा0वि0 वाद सं0–271/71–72 के द्वारा धार्य किया गया है एवं जमाबंदी सं0–133/1 कायम किया गया। उसी के आधार पर अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन का लगान का भुगतान करते आ रहे हैं तथा जमीन का जोत आबाद कर खेती करते हैं। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन पर दखलकार हैं तथा लगान का भी भुगतान कर रहे हैं। इसलिए अपीलकर्त्ता ज्योतिष यादव एवं अन्य का दावा निराधार है। क्योंकि उक्त दाग नं0–856 की जमीन पर अपीलकर्त्ता ज्योतिष यादव या उनके पूर्वज कभी दखलकार नहीं रहे हैं। अपीलकर्त्ता के पूर्वज के नाम से उक्त जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। फिर भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपीलकर्त्ता के साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्द किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

मध्यागन्तुक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मध्यागन्तुक पक्षकार मौजा–विशाहा के भूमिहीन गरीब हरिजन है। लगभग 55 व्यक्तियों के साथ गृहस्थल वाद सं0–4/83–84 में दाग नं0–856 के अन्तर्गत तीन डिसमल करके अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा बंदोवस्ती

किया गया था। गृहस्थल बंदोवस्ती होने के बाद सभी भूमिहीन व्यक्ति उक्त बंदोवस्त जमीन पर छोटा–मोटा झोपड़ी बनाकर गुजर बसर करते थे। बाद में इलाके के दबंग व्यक्तियों द्वारा झोपड़िया को तोड़ दिया गया। अंचल अधिकारी, पथरगामा ने उक्त जमीन परती रहने के कारण गृहस्थल बंदोवस्ती वाद सं0–4/83–84 के साथ अन्य बंदोवस्ती वाद को भी रद्द करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को प्रस्ताव भेजा। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा सभी व्यक्तियों को नोटिश दिया गया। नोटिश पर सभी लोग न्यायालय में उपस्थित हुए। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने सभी बंदोवस्ती को रद्द कर दिया है एवं सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती हेतु अंचल अधिकारी, पथरगामा को आदेश दिया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता ज्योतिष यादव एवं अन्य के द्वारा भी उक्त जमीन पर दावा किया जा रहा है। लेकिन उनलोगों का उक्त जमीन पर कभी दखल कब्जा नहीं था। इसी कारण से वर्ष 83–84 में मध्यागन्तुक पक्षकार गरीब हरिजन के साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती की गयी थी और उनलोगों का उक्त जमीन पर झोपड़ी भी बना हुआ था। मध्यागन्तुक पक्षकार भूमिहीन गरीब है तथा अनुसूचित जाति के सदस्य है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने भी भूमिहीन श्रेणी को उक्त जमीन की बंदोवस्ती के लिए निदेश दिया है। उन्होंने अपीलकर्त्तागण के आवेदन को खारिज करने एवं मध्यागन्तुक पक्षकार के साथ उक्त जमीन की बंदोवस्ती करने के लिए अनुरोध किया है।

विज्ञ सहायक सरकारी वकील का मंतव्य है कि मौजा–विशाहा नं0–255 गैरमजरूआ खाता नं0–133 दाग नं0–856 रकवा 03–15–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती कदीम कहकर दर्ज है। उक्त जमीन की बंदोवस्ती की गयी थी। लेकिन बंदोवस्तीदार न तो उक्त जमीन दखल कर पाये है और न ही उक्त जमीन कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया गया है। जबकि संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोवस्ती की तिथि से 5 वर्ष के अंदर बंदोवस्त जमीन को दखल कब्जा में लेना होगा। बंदोवस्ती जमीन पर बंदोवस्तदार का दखल नहीं होने के कारण अंचल अधिकारी, पथरगामा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा बंदोवस्ती रद्द किया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, पथरगामा का पत्रांक–228/रा0 दिनांक–23.03.2021 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–विशाहा थाना नं0–255 गैरमजरूआ जमाबंदी नं0–133 दाग नं0–856 के रकवा 03–15–10 धुर जमीन किस्म परती कदीम कहकर गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि की बंदोवस्ती अकलू गोप, पे0–बली गोप

साकिन डुमरीटोला विशाहा को रकवा 00–12–02 धुर बंदोवस्त हुआ था, जिसका बंदोवस्ती वाद सं0–134/62–63 था। पुनः उक्त दाग नं0 के अंदर 00–15–10 धुर जमीन कारू मिर्धा, पे0–फुलचंद मिर्धा को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बंदोवस्ती वाद सं0–219/70–71 के तहत बंदोवस्त प्राप्त हुआ। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा बंदोवस्ती वाद सं0–165/70–71, रे0मि0 वाद सं0–271/71–72 द्वारा जीतन गोप वो रामेश्वर गोप, पे0–वनवारी गोप, साकिन–बिशाहा डुमरीटोला को दाग नं0–856 का सम्पूर्ण रकवा 03–15–10 धुर जमीन बंदोवस्त से प्राप्त हुआ है। पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के गृहस्थल वाद सं0–4/83–84 के द्वारा गजाधर लैया सहित कुल 55 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति तीन डि0 करके जमीन का बंदोवस्ती किया गया था। जबकि खाता सं0–133 दाग नं0–856 में कुल रकवा 03–15–10 धुर जमीन ही था। उक्त वर्णित सभी बंदोवस्ती को किसी भी बंदोवस्तदार के शांतिपूर्ण दखल कब्जा के अभाव में बंदोवस्ती रद्द करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को प्रतिवेदन भेजा गया था, जिसके आधार पर बंदोवस्ती केन्सीलेशन वाद सं0–03/2017–18 द्वारा उपरोक्त सभी बंदोवस्ती को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा रद्द कर दिया गया है। आर0एम0ए0 नं0–16/20–21 के अपीलकर्त्ता ज्योतिष यादव, पिता–राम प्रसाद यादव द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती वाद सं0–134/62–63 का कागजात दिया गया, जिसके अवलोकन से यह पता चला कि अपीलकर्त्ता को मौजा–विशाहा गैरमजरूआ खाता नं0–133 दाग नं0–856 के अंदर रकवा 00–12–02 धुर एवं दाग नं0–351 के अंदर रकवा 00–10–00 धुर भूमि अकलू गोप, पे0–बली गोप साकिन–विशाहा (डुमरी टोला) को बंदोवस्त प्राप्त हुआ था। अपीलकर्त्ता बंदोवस्तदार के पोता है। उक्त बंदोवस्ती के आधार पर पंजी–2 में जमाबंदी नं0–133/76 कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है। अपीलकर्त्तागण मौजा–विशाहा के जमाबंदी नं0–40 के जमाबंदी रैयत अकलू गोप के वारिश है। उक्त जमाबंदी गत सर्वे खतियान में मौजा–विशाहा थाना नं0–255 जमाबंदी नं0–40 जमाबंदी रैयत जुमन गोप वो फुदु गोप, पे0–जगु गोप वो अकलू गोप वो भोला गोप, पे0–बली गोप कौम–ग्वाला साकिन देह डुमरी टोला कुल रकवा 03–01–09 धुर दर्ज है। भूमि मौजा–विशाहा थाना नं0–255 गैरमजरूआ खाता नं0–133 दाग नं0–856 पर गया जहाँ सम्पूर्ण दाग पर के रकवा 03–15–10 धुर पर अरहर लगा हुआ है एवं कुछ झोपड़ी भी बना हुआ है। बंदोवस्ती वाद सं0–134/62–63 के द्वारा दाग नं0–856 के अंदर रकवा 00–12–02 धुर पर शांतिपूर्ण दखल एवं जोत आबाद के कारण बंदोवस्ती निरस्त करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को बंदोवस्ती केन्सीलेशन

करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। बंदोवस्ती केन्सीलेशन नं0–03/17–18 के द्वारा उपरोक्त बंदोवस्ती अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उक्त बंदोवस्ती को रद्द किया गया है। अंचल अधिकारी, पथरगामा से पुनः उक्त प्रश्नगत जमीन का फोटो/संरचना की फोटो की मांग की गई, जो अंचल अधिकारी, पथरगामा के पत्रांक–427/रा0 दिनांक–20.04.2021 से प्रश्नगत जमीन का फोटो संलग्न किया गया है।

सभी पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–विशाहा नं0–255 के अन्तर्गत गैरमजरूआ खाता नं0–133 के दाग नं0–856 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती कदीम कहकर दर्ज है। अपीलकर्त्ता ज्योतिष यादव के द्वारा बंदोवस्ती वाद सं0–134/62–63 के द्वारा की गयी बंदोवस्ती, अपीलकर्त्ता गणेश यादव एवं अन्य के द्वारा बंदोवस्ती वाद सं0–271/71–72 तथा इन्टरभेनर पक्षकार के द्वारा गृहस्थल बंदोवस्ती केश नं0–4/1983–84 के द्वारा की गयी बंदोवस्ती के आधार पर उक्त जमीन पर दावा किया गया है। बंदोवस्ती वाद सं0–134/62–63 के द्वारा रकवा 00–12–02 धुर जमीन की बंदोवस्ती अकलू गोप के साथ की गई थी। इसके बाद उक्त दाग नं0 के अंदर 00–15–10 धुर जमीन कारू मिर्धा, पे0–फुलचंद मिर्धा को बंदोवस्ती वाद सं0–219/70–71 के तहत बंदोवस्त की गई थी। पुनः बंदोवस्ती वाद सं0–165/70–71 एवं रे0मि0 वाद सं0–271/71–72 द्वारा पूर्व की बंदोवस्ती को रद्द किये बिना ही जीतन गोप वो रामेश्वर गोप, पे0–वनवारी गोप, साकिन–बिशाहा डुमरीटोला को दाग नं0–856 का सम्पूर्ण रकवा 03–15–10 धुर जमीन बंदोवस्त की गई। इसके बाद भी पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के गृहस्थल वाद सं0–4/83–84 के द्वारा गजाधर लैया सहित कुल 55 व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति तीन डि0 करके जमीन का बंदोवस्ती किया गया। जबकि खाता सं0–133 दाग नं0–856 में कुल रकवा 03–15–10 धुर जमीन ही है। यह स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–03/2017–18 आदेश दिनांक–25.10.2019 के द्वारा दखल नहीं होने के आधार पर अंचल अधिकारी, पथरगामा के प्रतिवेदन के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोवस्ती को रद्द किया गया है। वर्तमान अपील वाद में भी उक्त जमीन पर दखल होने का साक्ष्य के रूप में मालगुजारी रसीद किसी भी पक्ष के द्वारा दाखिल नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय में भी किसी भी पक्ष के द्वारा उक्त जमीन पर दखल होने का साक्ष्य नहीं दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागण एवं इन्टरभेनर पक्षकार का

उक्त जमीन पर दखलकार नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–3/17–18 आदेश दिनांक–25.10.2019 को बरकरार रखने का आदेश दिया जाता है एवं अपीलकर्त्तागण एवं इन्टरभेनर पक्षकार के आवेदन को खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी, पथरगामा को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को अपने दखल में लेकर अनुपालन से न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। अभिलेख जिला अभिलेखागार, गोड्डा में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

09/03/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

09/3/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

डी० पी०–92
10.03.22

Scan
Ramanjay
22/3/2022

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 12:19:33 +05:30
Location: 192.168.29.32